

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 2018/ज्येष्ठ 5, 1940
No. 196]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

शुद्धिपत्र सूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

भारत के राजपत्र के खंड 4 के भाग 3 के अधीन प्रकाशित **“प्रकीर्ण अधिसूचनाएं, जिनके अंतर्गत कानूनी निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं भी हैं”** शीर्षक वाली अधिसूचना सं. 3एनसीए(4)/1/2013-2014 के निर्देश से यह जानकारी दी जाती है कि अधिसूचना सं. 3एनसीए(4)/1/2013-2014 तारीख 08/01/15 के पृष्ठ 26 पर प्रविष्टि सं. 2562 को, जो सीए. चन्द्रकांत चौरारिया (सदस्यता सं. 521263) के नाम हटाए जाने से संबंधित है, सूची से हटा दिए गए के रूप में पढ़ा जाए। अधिसूचना में प्रकाशित सूची में शेष नाम वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि वे पूर्व में थे।

डॉ. शिवम कुमार, उप सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./72/18]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

[Set up by an Act of Parliament]

CORRIGENDUM NOTICE

New Delhi, the 10th May, 2018

With reference to the Notification No. 3NCA(4)/1/2013-2014 published in The Gazette of India under Part-III of Section 4 titled **“Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements**

and Notices issued by Statutory Bodies”, it is hereby informed that name removal entry of CA. CHANDERKANT CHORARIA (M. No. 521263) at Serial No. 2562 at Page No. 26 Notification No. 3NCA(4)/1/2013-2014 dated 08/01/15 be read as deleted from the list. Rest of the name in the list published in the notification shall remain the same.

Dr. SHIVAM KUMAR, Jt. Secy.

[ADVT./III/4/Exty./72/18]